कार्यालय देवघर नगर निगम, देवघर

–: बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन खुली डाक सूचना :–

द्वितीय आमंत्रण

पत्रांक..........................देवघर / दिनांक..........................

देवघर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत साहेब पोखर पार्क की बन्दोबस्ती (खुली डाक के माध्यम से) हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में एक वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरणी / शर्तो के अनुसार दिनांक 09.01.2019 साय 4:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है:–

A.(i) खुली डाक में भाग लेने की तिथि साहेब पोखर पार्क हेतु :– 17.01.2019 (02:00बजे अपराह्न)

(ii) स्थानः–नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम, देवघर के कार्यालय प्रकोष्ठ में।

(iii) अग्रधन की राशि :– 20,000.00 (रूपये बीस हजार) मात्र।

(iv) न्यूनतम डाक की राशि :–10,00,000.00 (रूपये दस लाख) मात्र।

बन्दोबस्ती हेतु शर्त्ते :–

1 अग्रधन के रूप में निर्धारित राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम, देवघर के पदनाम से देय एवं देवघर में भुगतेय हो आवेदन के साथ प्रतिज्ञप्त करना होगा।

2 डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को निम्न कागजात आवेदन के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा:–

(क) मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।

(ख) आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(ग) पैन कार्ड एवं आयकर रिटर्न विगत वर्ष 2017–18 की छायाप्रति।

(घ) इस आशय का शपथ– पत्र समर्पित करेंगें कि उनका नाम काली सूची में दर्ज नहीं है तथा निगम का किसी भी प्रकार का राशि बकाया नही है।

(च) पूर्व बन्दोबस्तीधारी जिनके पास निगम का राशि बकाया है, वे डाक में भाग लेने के अयोग्य होगें।

नोट–बन्दोबस्ती हेतु अन्य मुख्य शर्तेः–

3 बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले सभी बोली दाता हेतु बन्दोबस्ती के अन्य नियम एवं शर्ते देवघर नगर निगम, देवघर के सूचना पटट् पर देखी जा सकती है।

4/1/19

नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापांक.......33......... / **दिनांक**.....04/1/19.....

प्रतिलिपिः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से उपरोक्त बन्दोबस्ती सूचना का प्रकाशन झारखण्ड संस्करण में एक दिन प्रकाशित करवाने का कष्ट किया जाय।(बन्दोबस्ती सूचना का सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी संलग्न)।

4/1/19

नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापांक.......33......... / **दिनांक**.....04/1/19.....

प्रतिलिपिः– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– माननीया महापौर / माननीया उपमहापौर, देवघर नगर निगम को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, देवघर / पुलिस अधीक्षक,देवघर / अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, देवघर / थाना प्रभारी, नगर थाना देवघर को सूचनार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि उक्त तिथि एवं समय पर सशस्त्र पुलिस बल निगम कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– कार्यापालक अभियंता/सहायक अभियंता दे0न.0नि0 को सूचनार्थ एवं बन्दोबस्ती के समय उपस्थित रहने हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपिः– प्रधान सहायक/लेखापाल/रोकड़पाल/टैक्स दारोगा दे0न0नि0 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं बन्दोबस्ती सूचना की एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ।

नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

नियम एवं शर्त्ते

1. बन्दोबस्ती स्वीकृति के पश्चात् अधिकत्तम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती की राशि का 25 प्रतिशत राशि(अग्रधन राशि को छोडकर) डाक समाप्ति के तुरन्त बाद एक मुश्त जमा करना होगा अन्यथा डाक अस्वीकृत कर दिया जायेगा। उच्चत्तम डाक की शेष राशि को तीन समतुल्य भाग में क्रमशः माह अप्रैल 2019, जूलाई 2019 एवं अक्टुबर 2019 के अंतिम सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी शर्तो के उल्लंघन होने की स्थिति में जमानत की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. उच्चतम दर दाता को उच्चतम राशि का 2 प्रतिशत आयकर जमा करना होगा।
3. डाक में भाग लेने वालो में असफल बोलीदाताओं को अग्रधन सफल डाकवक्ता के 25 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही वापस किया जायेगा।
4. बन्दोबस्ती समाप्ति के दस दिनों के अंदर बन्दोबस्तीधारी को एकरारनामा करा लेना होगा तथा इसका निबंधन खर्च बन्दोबस्तधारी (सफल बोलीदाता) द्वारा देय होगा।
5. सफल डाक ग्रहिता को बन्दोबस्ती अवधि तक पार्क की देख–रेख, सौदर्यीकरण एवं क्षतिपूर्ति स्वंय के खर्च पर करना होगा तथा इसकी साफ– सफाई का भी संपूर्ण दायित्व उनका होगा।
6. पार्क के लिये व्यवहृत विद्युत का विपत्र डाक ग्रहिता द्वारा देय होगा।
7. पार्क में किसी प्रकार की क्षति के लिए डाक ग्रहिता जबावदेह होगें तथा नुकसान की भरपाई उनसे की जायेगी। इसके लिए उन्हें एकरारनामा के समय 1 (एक) लाख रूपये की बैंक गारंटी जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम, देवघर के नाम से प्रतिज्ञप्त करना होगा।
8. डाक संबंधी विस्तृत विवरणी प्राप्त करने हेतु कार्यालय अवधि में नगर निगम कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
9. बिना कारण बताये खुली डाक को स्थगित्/अस्वीकृति करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।